न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–330/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/532)

1. मातादीन पुत्र श्योसहाय, जाति माली निवासी छिपारी तहसील बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड।
2. उमराव पुत्र श्योसहाय जाति माली निवासी छिपारी तहसील बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड।
3. काशीराम पुत्र छीतरमल जाति माली निवासी छिपारी तहसील बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड।
4. जगमाल पुत्र छीतरमल जाति माली निवासी छिपारी तहसील बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड।
5. कैलाश पुत्र किशोरी जाति माली निवासी छिपारी तहसील बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड।
6. सुगन पुत्र ग्यारसी जाति माली निवासी छिपारी तहसील बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड।
7. ओमकार पुत्र ग्यारसी जाति माली निवासी छिपारी तहसील बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड

रेस्पोडेन्ट्

उपस्थितिः–

1. श्री विजयसिंह राठौड एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल एडवोकेट रेस्पोडेन्ट की ओर से

दिनांकः– 26.07.2024

निर्णय

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2023 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि दिनांक 26.09.2023 को राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राजस्व–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में मौका निरीक्षण रिपोर्ट तहसीलदार बानसूर, आई.एल.आर. हरसोरा, पटवारी हल्का माजरा अहीर तहत न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 1171, 1172 वाके ग्राम शिवनगर व खसरा नम्बर

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

344 व 347 का मौका निरक्षण कर पाया गया कि उक्त आराजी अपीलान्ट के खातेदारी इन्द्राज है। उक्त खसरा नम्बरान के रास्ता कदीमी चालू है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की अनुशंषा की जाती है। न्यायालय ने तहसीलदार बानूसर की अनुशंषा के आधार पर दिनांक 17.10.2023 को खिलाफ मनशाये कानून व वाकेआत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 347 रकबा 25 एयर, खसरा नम्बर 344 रकबा 14 एयर वाके ग्राम छिपारी व खसरा नम्बर 1171 रकबा 34 ऐयर व खसरा नम्बर 1172 रकबा 57 ऐयर ग्राम शिवनगर तहसील बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड के अपीलार्थीगण खातेदार काश्तकार है। इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ही स्वीकार किया गया है कि उपरोक्त आराजी अपीलार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण जो कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकारान है, को कोई नोटिस व सूचना जारी नही की और ना ही तहसीलदार बानूसर द्वारा मौका निरीक्षण करते समय अपीलार्थीगण काश्तकारों खातेदारान को कोई सूचना दी गई बल्कि समस्त कार्यवाही अपीलार्थीगण की गैर मौजूदगी में बाला–बाला की गई है जो कबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है अपीलार्थीगण की उक्त आराजी में कभी कोई रास्ता किसी प्रकार का कच्चा व पक्का व पगडण्डी के रूप में नही रहा है लेकिन पटवारी हल्का ने बेवजह रंजिशपूर्ण अपीलार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से गलत मौका रिकार्ड हम अपीलार्थीगण के पीछे से तैयार कर रास्ता कायम करवाने की कार्यवाही की है जो काबिले खारिज है। उन्होने आगे कथन किया है कि यदि अपीलार्थीगण की उक्त कब्जे काश्त की आराजी में रास्ता होता तो पटवारी हल्का निश्चित रूप से जब रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अभियान सन् 2016 में राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया था उसी समय यह रिपोर्ट की जा सकती थी लेकिन वास्तव में अपीलार्थीगण की आराजी में कोई रास्ता था ही नही। इसलिये रास्ते की रिपोर्ट सन् 2016 से लेकर अगस्त 2023 तक नही की गई लेकिन इस तथ्य को भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया। उन्होने यह भी कथन किया है कि अचानक दिनांक 26.09.2023 को मौका निरीक्षण करना व रास्ते के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय में अपने प्रस्ताव को प्रेषित करना अपने आप मे संदेहास्पद है क्योंकि दिनांक 26.09.2023 को मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई और दिनांक 26.09.2023 को ही अधीनस्थ न्यायालय में स्वीकृति हेतु

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को कोई साक्ष्य व सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2023 निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 में स्पष्ट अंकित किया गया है जिला कलक्टर द्वारा जिले में सम्पादित रास्तों सम्बन्धी कार्यो की प्रगति की समीक्षा सप्ताहिक तौर पर किया जाना सुनिश्चित किया जावे। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि जिला कलक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि दिनांक 15.12.2016 के बाद उनके जिलें में रास्ते सम्बन्धी कोई समस्या लम्बित एवं शेष नही है। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलक्टरों को पाबन्द किया गया कि वे रास्ते सम्बन्धी समस्त कार्यवाही दिसम्बर 2016 से पूर्व पूर्णकर ले लेकिन उक्त प्रकरण में सात साल बाद रास्ते सम्बन्धी कार्यवही की गई जो अपने आप में ही संदेहास्पद है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2023 पारित किया है जो विधि विधान एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार में भूमि विवाद में आराजी का दिनांक 26.09.2023 को मौका पर्चा बनाया गया है जिसके अनुसार भूमि विवादग्रस्त में उक्त रास्ता 25–30 वर्ष पुराना व चालू है व मौके पर ग्राम छिपारी के खसरा नम्बर 344 में बने रास्ते पर इन्टरलाकिंग सड़क व खसरा नम्बर 347 में बने रास्ते पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है व शिवनगर की आराजी खसरा नम्बर 1171 व 1172 पर कच्चा चालू रास्ता है जिसके संदर्भ में उक्त रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भिजवाये गये है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2023 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि भूमि विवादग्रस्त का दिनांक 26.09.2023 को मौका पर्चा पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा बनाया गया है जिसमें उन्होने स्पष्ट रूप से अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि ग्राम छीपारी के खसरा नम्बर 344, 347 के समस्त खातेदार व ग्राम

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

शिवनगर के आराजी खसरा नम्बर 1171, 1172 के समस्त खातेदार रास्ते को राजस्व रिकार्ड में कटवाने/दर्ज करवाने के लिये सहमत नहीं रहें हैं। प्रकरण में परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पूर्ण पालना किया जाना भी पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2023 पारित करने से पूर्व भूमि विवादग्रस्त के खातेदारान अपीलार्थीगण को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना या सुनवाई इत्यादि का कोई अवसर नही दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2023 न्याय के प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उचित नही ठहराया जा सकता तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति संभागीय आयुक्त,
जयपुर।